कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 1986 मे उत्तीर्ण अभ्यर्थी श्री सूर्यप्रकाश बंसल पुत्र श्री सत्यनारायण मैरिट नं. 797 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी/2856/मुख्य/96–97 दिनांक 25.04.2000 के द्वारा सिरोही जिला आवंटित किए जाने के उपरांत पदस्थान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) सिरोही को सुपूर्द किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), सिरोही द्वारा दिनांक 11.05.2000 बालिका माध्यमिक विद्यालय आबूपर्वत, सिरोही मे पदस्थापन के आदेश जारी किए गए।

श्री सूर्यप्रकाश बंसल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल याचिका संख्या 10321/2020 सूर्यप्रकाश बंसल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण 03 माह मे निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण मे याचिकार्थी श्री सूर्यप्रकाश बंसल द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 24.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 12.05.2000 की है। श्री बंसल को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे दी गई थी। प्रार्थी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय मे दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचरोपरान्त यह स्पष्ठ किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969–70/93 मे पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य मे इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना मे नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है, न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहां गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

यह है कि राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है जिसके अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है।

विभाग इस प्रकार के समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी अपील संख्या 383/2020 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम बालकिशन पारीक व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय मे निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार एतदनुसार दिनांक 24.09.2000 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/याचिकाएं/1986/20 दिनांक – 12/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा ।
3. संबंधित श्री सूर्यप्रकाश बंसल, वरिष्ठ सहायक राउमावि आबूपर्वत, सिरोही
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर